उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(आपूर्ति शाखा)

अल्पकालीन निविदा

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु बोकारो जिला में संचालित दिन में 15 एवं रात्रि में 4 कुल 19 (उन्नीस) मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों में चावल, चना एवं सोयाबीन बड़ी आपूर्ति किए जाने हेतु इच्छुक व्यापारी/पंजीकृत थोक विक्रेता/कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय/कस्तुरबा गाँधी विद्यालय एवं मंडल कारा संस्थानों के आपूर्तिकर्त्ताओं आदि से "अल्पकालीन निविदा" आमंत्रित की जाती है।

स्वीकृत निविदा दाता को "जिला निविदा समिति" द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन करना होगा। दिनांक 06.07.2020 को 01.00 बजे अपराह्न तक जिला आपूर्ति कार्यालय, बोकारो में मुहर बन्द निविदा लिफाफा जमा करना होगा एवं उसी दिन 04.00 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे निविदा खोला जाएगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के दो मुहरबंद सील लिफाफों को भर कर एक साथ एक "मुहरबंद सील लिफाफा" में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा की शर्तो को पूरा करने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

निविदादाता को 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट "जिला आपूर्ति पदाधिकारी बोकारो" के पदनाम पर सुरक्षित जमा देना होगा, जो बोकारो में भुगतेय हो। इसके अतिरिक्त निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण पत्र यथा :–

(i) चरित्र प्रमाण पत्र (उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)

(ii) अद्यतन (2019-20) आयकर रिटर्न एवं GST No. संलग्न करना होगा।

(iii) झारखण्ड राज्य के वासी होने का प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से) जो, एक वर्ष के अन्दर का निर्गत हो।

(iv) न्यूनतम 20,00,000.00 (बीस लाख) रुपये का **Annual Turnover** का प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

(v) काली सूची में नाम दर्ज न होने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम (7-EC) के अन्तर्गत कोई मुकदमा/प्राथमिकी दर्ज नही होने का शपथ पत्र।

किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को 31 मार्च 2021 तक कार्य करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने या काम छोड़ने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र/राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा। निविदा से संबंधित शर्ते www.bokaro.nic.in (www.jharkhandtender.gov.in) वेवसाईट/कार्यालय पर देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी सूचना पट्ट में भी देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
बोकारो।

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्ते निम्नवत है :–

1. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा सामग्री की आपूर्ति कृषि उत्पादन बाजार समिति के दर से न्यूनतम दर पर किया जाना है। यह निविदा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए है। विभागीय/उपायुक्त, बोकारो के निदेशानुसार अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
2. निविदादाता अपना नाम, पिता/पति का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, व्यवसाय, पूर्व अनुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में करेगें।
3. संलग्न प्रमाण पत्र :–
   (i) चरित्र प्रमाण पत्र (उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)
   (ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 का आयकर रिटर्न एवं GST No. संलग्न करना होगा।
   (iii) झारखण्ड राज्य के वासी होने का प्रमाण पत्र (अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से) जो, एक वर्ष के अन्दर निर्गत हो।
   (iv) न्यूनतम 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये का Annual Turnover का प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।
4. वैसे निविदादाता को जिन्हें किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हो या जिसे किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो, उनके द्वारा समर्पित निविदा को मान्यता नही दी जाएगी। निविदादाता को इस बात का शपथ पत्र समर्पित करना होगा।
5. निविदा के साथ 2,00,000.00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में "जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो" के पदनाम से जो बोकारो में भुगतेय होगा, संलग्न करना आवश्यक है। निविदा समाप्ति के पश्चात स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
6. स्वीकृत निविदादाता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना होगा जो 31 मार्च 2021 तक वैद्य होगा।
7. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग लिफाफा में देना होगा। तकनीकी निविदा योग्य एवं सही पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा वाले लिफाफा को खोला जायेगा। दोनों लिफाफा को एक अन्य सील बंद लिफाफा में देना होगा।
8. मुहर बंद निविदा दिनांक 06.07.2020 को 01.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा तथा उसी दिन 04.00 बजे अपराहन निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. निविदादाता को प्रखण्डों में स्थित संचालित दाल–भात केन्द्रों तक पहुँचाकर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी एवं खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए अलग से परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. स्वीकृत निविदादाता द्वारा आपूर्ति किए गये खाद्यान्न के विरुद्ध यदि किसी प्रकार की अनुचित राशि वसूली की जाती है अथवा ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से राशि कटौती करने का तथा निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा ऐसी परिस्थिति में L-2 निविदादाता को L-1 दर पर कार्य सौंप दिया जायेगा। निविदादाताओ का दर समान (Equal) होने पर अनुभवी निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।

Scanned by CamScanner

12. स्वीकृत निविदादाता सामग्रियों की आपूर्ति करने का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।

13. निविदादाता सामग्री की आपूर्ति हेतु आईटमवाईज अलग–अलग दर दे सकते हैं। आपूर्तिकर्त्ता का चयन आईटमवाईज अलग–अलग किया जा सकता है।

14. दाल–भात केन्द्रों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी एवं किसी भी प्रकार का निर्णय लेने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगी।

15. निविदादाता का चयन जिले के सभी दाल–भात केन्द्रों में सामग्री की आपूर्ति करने हेतु की जाएगी।

16. निविदा का निष्पादन बाजार समिति के दर से न्यूनतम दर पर की जायेगी।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक : 800 /आ0 बोकारो, दिनांक 20/06/2019

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि एन0आई0सी0 के वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अल्पकालीन निवीदा की सूचना प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त,
बोकारो।

Scanned by CamScanner